

जम्मू-कश्मीर परसीमन आयोग की अंतरिमि रपिर्ट

प्रलिमिंस के लयि:

परसीमन आयोग और संबंधति संवैधानकि प्रावधान, लोकसभा, वधानसभा, सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 370

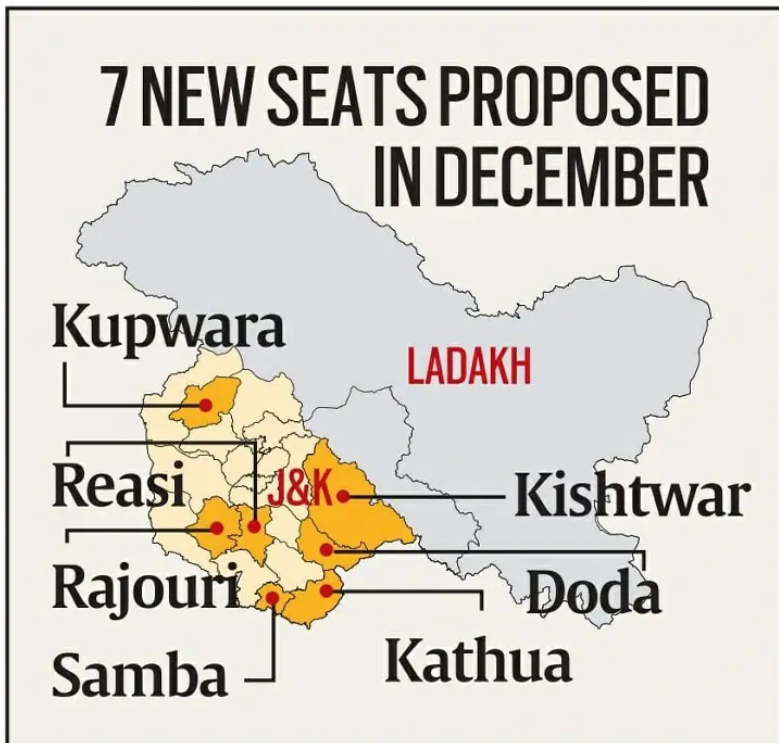
मेन्स के लयि:

भारतीय संवधान, चुनाव, वैधानकि नकिया, परसीमन प्रक्रिया, जम्मू-कश्मीर का परसीमन और संबंधति मुद्दे।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अपनी अंतरिमि रपिर्ट में जम्मू-कश्मीर (J&K) परसीमन आयोग ने जम्मू-कश्मीर के चुनावी मानचित्र में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव दिया है।

- राज्य में परसीमन की कवायद जून, 2021 में शुरू हुई थी।



जम्मू-कश्मीर नरिवाचन क्षेत्रों का पूर्व वतिरण:

- पूर्व में जम्मू-कश्मीर राज्य में 87 सदस्यीय वधानसभा थी, जसिमें जम्मू क्षेत्र में 37, कश्मीर संभाग में 46 और लद्दाख में 4 नरिवाचन क्षेत्र थे। इसके अलावा 24 सीटें पाकिस्तान अधकृत कश्मीर (पीओके) के लयि आरक्षति थी।
- 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर की वशिष स्थति को नरिस्त करने के बाद इसने अपना वशिष दर्जा खो दिया और यह दो केंद्रशासति प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में वभाजति हो गया।

जम्मू-कश्मीर परसीमन आयोग की प्रमुख सफ़िरशिनः

■ परचियः

○ वधिनसभा कषेत्रों में वृद्धिः

- आयोग ने जम्मू-कश्मीर पुनर्रगठन अधनियम, 2019 के तहत प्रदत्त जनादेश के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में सात वधिनसभा कषेत्रों को जोड़ा ।
- अंतरमि रपिर्ट में जम्मू प्रांत के लिये छह सीटों की वृद्धिका प्रस्ताव है जिसमें नरिवाचन कषेत्रों की संख्या को 43 करना, कश्मीर प्रांत में एक सीट की वृद्धितथा सीटों की संख्या को 47 तक करना और दोनों कषेत्रों को लगभग एक-दूसरे के बराबर लाना शामिल है ।
- आयोग ने जम्मू-कश्मीर में अधकिंश वधिनसभा कषेत्रों की सीमाओं को फरि से नरिधारति करने का सुझाव दिया है । इसने 28 नरिवाचन कषेत्रों का पुनर्रगठन किया है तथा 19 वधिनसभा कषेत्रों को हटा दिया है ।

○ वधिनसभाओं में आरक्षणः

- आयोग ने अनुसूचति जातयिं (SCs) के हदिओं के लिये सात सीटें आरक्षति करने का प्रस्ताव किया है जो मुख्य रूप से सांबा-कटुआ-जम्मू-उधमपुर बेल्ट में नवास करती हैं और अनुसूचति जनजातयिं (STs) के लिये नौ सीटें आरक्षति करने का प्रस्ताव है जो जम्मू प्रांत में राजौरी-पुंछ बेल्ट में रहने वाले ज़्यादातर गैर-कश्मीरी भाषी मुसलमानों, गुर्जर और बकरवाल के लिये मददगार साबति होंगी ।

○ लोकसभा की सीटों में वृद्धिः

- आयोग ने लोकसभा नरिवाचन कषेत्रों के पुनर्रनरिधारण का प्रस्ताव किया है । जम्मू-कश्मीर में पाँच संसदीय कषेत्र हैं, जिसमें कश्मीर से तीन सीटें और जम्मू से दो सीटें शामिल हैं ।
- इसने दक्षणि कश्मीर के तीन ज़िलों तथा पीरपंजाल घाटी के दो ज़िलों राजौरी और पुंछ को मलिाकर एक लोकसभा सीट का प्रस्ताव दिया है तथा इसका नाम अनंतनाग-राजौरी सीट होगा ।

■ आलोचनाः

○ कश्मीर में अधकिआबादीः

- इस सीट के बँटवारे की इस आधार पर आलोचना की गई कि कश्मीर प्रांत की जनसंख्या 68.88 लाख है, जबकि जम्मू प्रांत में 53.50 लाख लोग नवास करते हैं ।
- हालाँकि आयोग का तर्क है कि उसने स्थलाकृति, संचार के साधन और उपलब्ध सुवधि को ध्यान में रखकर इन सीटों का बटवारा किया है, न कि केवल जनसंख्या के आकार को ।

○ पुनर्रगठन असंवैधानकिः

- यह दावा किया गया है कि जम्मू-कश्मीर पुनर्रगठन अधनियम, 2019 "स्पष्ट रूप से असंवैधानकि" था और इसे पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है ।

○ वविकाधीन प्रकरयाः

- आलोचकों ने आयोग द्वारा जम्मू-कश्मीर के मामले में लागू किये गए फॉर्मूले पर भी सवाल उठाया है और आयोग की रपिर्ट को एक मनमानी/वविकाधीन प्रकरया करार दिया है, रपिर्ट में इलाके/कषेत्रों की आबादी को नज़रअंदाज किया गया है जो वधिनसभा और संसदीय कषेत्रों की सीमाओं को पुनः परिभाषति करने हेतु एक बुनियादी मानदंड है ।

परसीमनः

- नरिवाचन आयोग के अनुसार, किसी देश या एक वधियायी नकिया वाले प्रांत में कषेत्रीय नरिवाचन कषेत्रों (वधिनसभा या लोकसभा सीट) की सीमाओं को तय करने या फरि से परिभाषति करने का कार्य परसीमन है ।
- परसीमन अभ्यास (Delimitation Exercise) एक स्वतंत्र उच्च शक्ति वाले पैनल द्वारा किया जाता है जिस परसीमन आयोग के रूप में जाना जाता है, जिसके आदेशों में कानून का बल होता है और किसी भी न्यायालय द्वारा इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है ।
- किसी नरिवाचन कषेत्र के कषेत्रफल को उसकी जनसंख्या के आकार (पछिली जनगणना) के आधार पर फरि से परिभाषति करने के लिये वर्षों से अभ्यास किया जाता रहा है ।
- एक नरिवाचन कषेत्र की सीमाओं को बदलने के अलावा इस प्रकरया के परिणामस्वरूप राज्य में सीटों की संख्या में भी परिवर्तन हो सकता है ।
- संवधान के अनुसार, इसमें अनुसूचति जाति(SC) और अनुसूचति जनजाति(ST) के लिये वधिनसभा सीटों का आरक्षण भी शामिल है ।

उद्देश्यः

- परसीमन का उद्देश्य समय के साथ जनसंख्या में हुए बदलाव के बाद भी सभी नागरिकों के लिये समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चति करना है । जनसंख्या के आधार पर नरिवाचन कषेत्रों का उचित विभाजन करना ताकि प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को प्रतिनिधित्व का समान अवसर प्रदान किया जा सके ।

परसीमन का संवैधानकि आधारः

- प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संवधान के अनुच्छेद-82 के तहत एक परसीमन अधनियम लागू किया जाता है ।
- अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद परसीमन अधनियम के अनुसार कषेत्रीय नरिवाचन कषेत्रों में विभाजति किया जाता है ।
- एक बार अधनियम लागू होने के बाद केंद्र सरकार एक परसीमन आयोग का गठन करती है ।

- परसीमन आयोग प्रत्येक जनगणना के बाद संसद द्वारा परसीमन अधिनियम लागू करने के बाद अनुच्छेद 82 के तहत गठित एक स्वतंत्र निकाय है।
- हालाँकि पहला परसीमन अभ्यास राष्ट्रपति द्वारा (नरिवाचन आयोग की मदद से) 1950-51 में किया गया था।
- 1952, 1962, 1972 और 2002 के अधिनियमों के आधार पर चार बार 1952, 1963, 1973 और 2002 में परसीमन आयोगों का गठन किया गया है।
- वर्ष 1981 और वर्ष 1991 की जनगणना के बाद परसीमन नहीं किया गया।

परसीमन आयोग की संरचना:

- परसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और यह भारतीय नरिवाचन आयोग के सहयोग से काम करता है।
- संरचना:
 - सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश।
 - मुख्य चुनाव आयुक्त।
 - संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त।

परसीमन की आवश्यकता क्यों?

- देश के विभिन्न भागों के साथ-साथ एक ही राज्य के भीतर विभिन्न नरिवाचन क्षेत्रों में जनसंख्या की असमान वृद्धि।
- साथ ही लोगों/नरिवाचकों के एक स्थान से दूसरे स्थान, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर नरितर प्रवास के परिणामस्वरूप एक ही राज्य के भीतर भी विभिन्न आकार के चुनावी क्षेत्र हैं।

परसीमन के मुद्दे:

- जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में कम रुचिलेते हैं उन्हें संसद में अधिक संख्या में सीटें मिल सकती हैं। परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाले दक्षिणी राज्यों को अपनी सीटें कम होने की संभावना का सामना करना पड़ा।
- वर्ष 2002-08 तक परसीमन जनगणना 2001 के आधार पर की गई थी लेकिन वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार, विधानसभाओं और संसद में तय की गई सीटों की कुल संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया था।
- संविधान ने लोकसभा एवं राज्यसभा सीटों की संख्या को क्रमशः 550 तथा 250 तक सीमित कर दिया है और बढ़ती जनसंख्या का प्रतिनिधित्व एक ही प्रतिनिधि द्वारा किया जा रहा है।

स्रोत: द हिंदू